

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी/रेस्पॉडेन्ट
1. श्री इन्दरसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण तहसील शिवगंज जिला सिरोही।		सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी सिरोही
2. श्री छैलसिंह पुत्र श्री छोगसिंह जाति राजपूत निवासी लुन्दारा तहसील बाली जिला पाली।		

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट

मुकदमा नं. ५२-वर्ष 2021

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हए
27.12.2021	<p>प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना बरलूट जिला सिरोही के सी. आर. नं. 146 दिनांक 25.11.2021 में उपाधीक्षक पुलिस वृत सिरोही द्वारा गलत रूप से प्रार्थी की मोटरसाईकिल आरजे 22 एमएस 5844 पकडा गया हैं। उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें। प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंने परिवाद का अवलोकन किया गया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया। परिवाद दिनांक 10.12.2021 को प्रस्तुत किया गया, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 25.11.2021 को श्री मदनसिंह उप अधीक्षक पुलिस वृत्ताधिकारी वृत सिरोही द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 25.11.2021 को 06.30 ए.एम पर गाडी नम्बर आरजे 24 जीए 4901 में उसका चालक अवैध पेट्रोल व डीजल बेचने हेतु ड्रमों में भरकर पालडी एम से जावाल की तरफ जा रहा है एवं उक्त गाडी के आगे-आगे एक व्यक्ति बिना नम्बर की मोटर साईकिल से जा रहा है। नाकाबन्दी में उक्त वाहनों को रूकवाया गया, जिसमें पिकअप वाहन चालक श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री हेमाराम जाति माली निवासी नया जोयला तहसील शिवगंज जिला सिरोही एवं मोटरसाईकिल चालक श्री इन्दरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण होना बताया एवं पिकअप वाहन में भरे हुए ड्रमों में पेट्रोल भरा होना बताया। मौके पर पिकअप वाहन को चैक किया गया तो उक्त वाहन में प्लॉस्टिक के नीले रंग के 11 ड्रम प्रत्येक में 200 लीटर व एक 50 लीटर के जरीकन में पेट्रोल भरा हुआ पाया गया। उक्त पेट्रोलियम के परिवहन</p>	


जिला कलक्टर, सिरोही

के बारे में चालक श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री हेमाराम से अनुज्ञापत्र व विल इत्यादि के बारे में पूछा तो उसने अपने पास किसी भी प्रकार का कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया एवं उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को हाईवे पर चलने वाले टैंकों से सस्ते भाव में खरीदकर आगे ग्राहकों को बेचने के लिए भीनमाल की ओर ले जाना बताया। श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री हेमाराम एवं श्री इन्दरसिंह पुत्र सोहनसिंह द्वारा भारी मात्रा में अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ को बिना अनुज्ञापत्र के अवैध रूप परिवहन करने से अपराध धारा 407,379,411 भादस का उल्लंघन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 SEC-(2)(i) का उल्लंघन है अतः धारा 407,379,411 भादस, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण वाहन के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवडा व अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी श्री छैलसिंह पुत्र श्री छोंगसिंह जाति राजपूत निवासी लुन्दारा तहसील वाली जिला पाली केवल मात्र वाहन का एक मात्र स्वामी है एवं वाहन के थाने में पड़े रहने से उसके खराब होने की पूर्ण सम्भावना है, जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान होगा। पुलिस द्वारा वाहन से किसी तरह की कोई जाँच नहीं की जानी है।

इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Petition No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminal Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Seized carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

अतः वाहन का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें।

  
जिला कलक्टर, सिरोही

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि चालक द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त वाहन में ले जाया जा रहा था । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन मय पेट्रोलियम पदार्थ को कब्जे सरकार लिया गया है । एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । प्रकरण का अनुसंधान जारी है ।

ऐसी स्थिति में वाहन को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावे । उपाधीक्षक पुलिस सिरौही द्वारा थाना बरलूट के मुकदमा संख्या 146 दिनांक 25.11.2021 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में बिना नम्बर की पल्सर मोटरसाईकिल से एस्कोटिंग करते हुए एवं महिन्द्रा पिकअप नम्बर आरजे 24 जीए 4901 में पेट्रोलियम पदार्थ कुल 2250 लीटर को कब्जे सरकार लिया गया है । वाहन को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे ।


मैंने दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया । थानाधिकारी पुलिस थाना बरलूट के एफ आई आर क्रमांक 146 दिनांक 25.11.2021 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्ययन मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस द्वारा महिन्द्रा पिकअप संख्या आरजे 24 जीए 4901 में 2250 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ चोरी करते हुये एवं बिना नम्बर की पल्सर मोटरसाईकिल से एस्कोटिंग करते हुए पाये जाने पर पेट्रोलियम पदार्थ व वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसन्धान जारी है । वाहन को उसके पंजीकृत मालिक को देने पर अनुसन्धान पर कोई विपरित असर पडना नहीं पाया जाता है । ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है जिससे वाहन मालिक को अतुलनीय क्षति होना पाया जाता है ।

उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए उसका निस्तारण शीघ्र किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Petition No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminal Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Seized carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

वि.स. कल्लेश्वर, सिरौही

इस प्रकरण में लागू होना पाया जाने से उसका सम्मान करते हुए मोटरसाईकिल को इस शर्त के साथ रूपये 01,00,000/- की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिये जाते है कि थानाधिकारी बरलूट उक्त मोटरसाईकिल के पंजीकृत स्वामी की जांच कर पंजीकृत स्वामी को सुपुर्द की जावे।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके स्वामी की जांच कर वाहन सुपुर्द करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना बरलूट को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें।

  
(भगवती प्रसाद)  
जिला कलेक्टर, सिरोही